Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 29-08-2005

Participants : Velu Shri R.,Pandey Dr. Laxminarayan

>

Title : Resolution regarding approval of recommendations in the second report of Railway Convention Committee and Railways (Amendment) Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI R. VELU): I beg to move:

> "That this House approves the recommendations contained in paras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and 46 of the Second Report of the Railway Convention Committee (2004) appointed to review the Rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues etc., which was presented to Lok Sabha on 28.4.2005. "

MADAM CHAIRMAN: The hon. Minister has to move the Railways (Amendment) Bill.

SHRI R. VELU: I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MADAM CHAIRMAN: Motions moved:

> "That this House approves the recommendations contained in paras 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and 46 of the Second Report of the Railway Convention Committee (2004) appointed to review the Rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues etc., which was presented to Lok Sabha on 28.4.2005. "
>
> "That the Bill further to amend the Railways Act, 1989, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय सभापति महोदया, हम रेलवे से संबंधित जो लाभांश का मामला है तथा रेलवे की हजारों एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ि वधेयक है, हम उसके उपयोग के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। जहां तक लाभ का प्रश्न है, लाभ का समुचित उपयोग राट्रीय हित में हो सके, सिफारिशों के मुताबिक लाभांश राज्यों को भी मिले उसकी उपादेयता बढ़े और हम इसका राट्र के लिए समुचित उपयोग कर सकें। जहां तक इस लाभांश को बढ़ाने का प्रश्न है, इसे बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में समुचित ढंग से विचार-विमर्श करके, समुचित कार्यविधि अपनायी जानी चाहिए ताकि उस लाभांश का हम अधिकाधिक दोहन कर सकें, उसका समुचित उपयोग कर सकें। रेलवे कंनवेंशन कमेटी की अन्य सिफारिशों पर भी पूरा विचार हो, उसका कार्यक्षेत्र बढ़े । इस संकल्प और विधेयक पर दूसरे सदन में चर्चा हो चुकी है, यह विधेयक और संकल्प वहां पारित हो चुका है तथा इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। संकल्प और विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विधेयक और संकल्प देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके दूरगामी प्रभाव और परिणाम होंगे। यदि हम उनको देखें तो कई विचारणीय प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं।

रेलवे से संबंधित, रेलवे के क्षेत्र में आने वाली जमीन हजारों एकड़ है, लगभग 43 हजार हेक्टेयर जमीन है जो रेलवे की सम्पत्ति मानी जाती है। मेरा निवेदन है कि जिस शब्दावली का इसमें उपयोग किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो रेलवे की सम्पत्ति हो, जिस पर रेलवे का हक हो और जिसमें रेलवे का हित हो, मुझे इस पर आश्चर्य है कि "जिसमें रेलवे का हक हो," हित हो' अगर मेरा किसी जमीन में इंटरेस्ट है, भले ही वह मेरी जमीन नहीं है, तो मैं उस जमीन को अपनी कैसे मानूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस शब्दावली को देखें और विचार करें। जिसमें रेलवे का हित हो - रेलवे का हित उस दृटि से नहीं है कि हम उसका व्यवसायीकरण करके उसमें व्यवसाय लगाएं, रोजगार खोलकर, होटल खोलकर या किसी को लीज़ पर देकर उसका उपयोग करें। इसका उद्देश्य यह नहीं है। लेकिन किस प्रकार से आय अर्जित की जा सकती है?

दूसरे, इसमें कुछ मानवीय पहलू भी जुड़े हुए हैं। मानवीय पहलू से मेरा तात्पर्य है कि रेलवे की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जे हैं, आप उन्हें अनधिकृत कह सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्षों से, पांच-छः वर्षों से नहीं बल्कि 50-60 वर्षों से या उससे भी पहले से उन जमीनों पर कब्जे चले आ रहे हैं। उन पर भवन और व्यवसायिक संस्थान खड़े हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन पर गरीबों, दलितों और निःसहायों के मकान बने हुए cé[MSOffice85]। आखिर आप उनको क्यों बेदखल करने जा रहे हैं। आज उनके पास रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं, मकान के साधन नहीं हैं। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास आज किसी प्रकार के साधन नहीं हैं, वे जैसे-तैसे वहां अपना आश्रय बनाकर रह रहे हैं। इस प्रकार जमीन लेकर आप उन्हें विस्थापित करने जा रहे हैं। विस्थापन की दशा में किस प्रकार कार्यवाही करेंगे, यह भी विचारणीय प्रश्न है क्योंकि यह मानवीय पहलू है और इससे हजारों लोग विस्थापित हो सकते हैं या होंगे, कृपया इस बारे में भी देखें।

आपने इस विधेयक में दो-तीन बातें कही हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा। इस विधेयक में आपने आगे कहा है कि एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। आपने प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में भी उल्लेख किया है कि उसकी पावर्स क्या होंगी ? यह बताते हुए पा वर्स असीमित दी गई हैं। प्राधिकरण जो चाहे कर सकता है, इसकी भााा से इस तरह प्रतीत होता है। प्राधिकरण अगर चाहे तो जमीन देने के लिए ग्लोबल टैंडर भी आमंत्रित कर सकता है। इसमें शब्द उपयोग किया गया है - भूमि और सम्पत्ति के विकास के संबंध में भारत या विदेश में - भारत में ही बहुत परामर्शदाता हैं, आप विदेश से परामर्श करेंगे, भारत में बहुत सारे बिल्डर्स मिल जाएंगे, विदेशी बिल्डर्स से क्या ग्लोबल टैंडर कॉल कर उनका उपयोग करेंगे। इस दृटि से इसका दुरुपयोग करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसे ठीक कीजिए।

इसमें आगे कहा गया है कि केन्द्र सरकार जो करार करेगी। कई माननीय सदस्यों ने दूसरे सदन में भी इस बारे में प्रश्न उठाए हैं। मैं यहां उनका उल्लेखमात्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि क्या जमीन रेलवे की है, इसे आप किस प्रकार रेलवे की सम्पत्ति कहते हैं। रेलवे के पास जो जमीनें हैं, वह राज्य सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई जमीनें है, आपकी अपनी जमीनें नहीं हैं। बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिन्हें आपने अधिग्रहित किया है, पैसा दिया है, लेकिन बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिनका पैसा भी नहीं दिया और उन पर जबरन कब्जा कर रखा है। इस बिल के आने से जबरन कब्जे को भी अपना मानकर आप लोगों को विस्थापित कर देंगे। कृपया इसे स्पट करें।

मैंने कहा कि यह बिल दिखने में बहुत सरल और सहज लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। कृपया इसे देखें। मैं जानता हूं कि इस बारे में स्थायी समिति में विचार हुआ है और रेलवे की स्थायी समिति ने भी इसे गंभीरता से विचार लिया होगा। फिर भी सदन को अधिकार है कि स्थायी समिति द्वारा किए गए विचार पर पुनः विचार करे और यदि कोई कमी है, तो उसके बारे में निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्ति करे। मैं इस दृटि से आपका ध्यान आकर्ति करना चाहूंगा।

यह बात ठीक है कि रेलवे की आय के अन्य स्रोतों में आप एक नई आय का स्रोत जोड़ रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि हम रेलवे का विस्तार करना चाहते हैं, कुछ दिन पहले रेल मंत्री जी का वक्तव्य था कि हम मुम्बई और दिल्ली के मध्य एक नई रेलवे लाइन डालना चाहते हैं, तीसरी लाइन डालेंगे ऐसे तो दिल्ली और चेन्नई के बीच रेलवे लाइन डालना चाहते हैं, तीसरी रेलवे लाइन के लिए अन्य जमीन कहां से आएगी। वह यही जमीन है, जो जमीन आप ले रहे हैं, उसका उपयोग व्यवसाय के लिए करेंगे, दूसरे धंधे खोलेंगे, बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल खोलेंगे या तीसरी लाइन डालेंगे, कृपया इसे स्पट कीजिए कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं। आप या तो तीसरी रेलवे लाइन डालना नहीं चाहते, आपने दिल्ली-चेन्नई के मध्य रेलवे लाइन डालने की जो बात कही है. वह निरर्थक है, केवल आश्वासन मात्र या घोाणा मात्र है। मुम्बई और दिल्ली के मध्य रेलवे लाइन की बात भी घोाणा मात्र है या दिल्ली और पटना के मध्य रेलवे लाइन की बात हो सकती है या और भी जहां-जहां तीसरी लाइन डालने या विस्तारित किए जाने की योजना है उसे भी इसके साथ देखा जाना चाहिए ।

आप दिल्ली, मुम्बई या बड़े-बड़े शहरों में देखिए। पहले तीन प्लेटफार्म थे, फिर चार बने, छः बने, सात बने, दस बने, बारह बने और बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जहां आपने दूसरे और टर्मिनल्स कायम किए, उनकी हालत इतनी खराब है कि वे बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के आस-पास जो इतनी भूमि पड़ी हुई है, उसका भी उपयोग हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे आप यात्री गाड़ियों का विस्तार कर रहे हैं, यानी यात्री गाड़ियों में लगने वाले सवारी डिब्बों का विस्तार कर रहे हैं, प्लेटफार्म का विस्तारीकरण हो रहा है और जो जमीनें आपको खाली दिखती थीं, उनमें लम्बे प्लेटफार्म बनते जा रहे हैं, वह जमीन रेलवे के काम आ रही है, उससे और कौन से आय के स्रोत बनाने जा रहे हैं। यह बहुत ज्यादा कॉमप्लीकेटेड बिल है, सामान्य बिल नहीं है। कृपया इस बारे में विचार करेंगे और अपने भााण के समय इन प्रश्नों का उत्तर दें[R86]। जैसा मैंने अभी कहा कि आपकी जो जमीन है, जो राज्य सरकारों द्वारा आपको दी गयी है या राज्य सरकारों से आपने किसी प्रकार से प्राप्त की है, उस जमीन के बारे में आज आपकी किस प्रकार की स्थिति है ?

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप व्यावसायीकरण की जो बात कर रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसी जमीनें हैं जो रेलवे की है ही नहीं । वह जमीन या तो निगमों को स्थानांतरित हो चुकी है या दूसरे कार्यों के लिए दी जा चुकी है। आपने 43 हजार हेक्टेयर के जो आंकड़ें दिये हैं, उसमें आपने ऐसी जमीन को भी शामिल कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस देखिये।

आपने बिल की धारा चार में प्राधिकरण की बात कही है। धारा चार के 'ग' भाग में कहा गया है कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी--हम िवहित रीति में आगे चलकर बनायेंगे, नियमों में विहित करेंगे, नियमों में जोड़ेंगे, नियम आगे चलकर बनेंगे, इसका वाणिज्यिक उपयोग किस प्रकार से होगा, आदि। इस वाणिज्यिक शब्द के उपयोग को थोड़ा स्पट करना चाहिए कि क्या प्राधिकरण उसे स्वयं करेगा ? इस प्राधिकरण की स्थिति क्या होगी ? इस प्राधिकरण में आप जिन लोगों को लेने वाले हैं, जिन लोगों को नियुक्तियां देने वाले हैं या नाम निर्दिट करने वाले हैं, उनका कार्यकलाप किस प्रकार का होगा, उन्का नियंत्रण किस प्रकार से होगा, इन सबके बारे में आप विचार करके हमें अपने उत्तर में बतायें। उसकी पारदर्शिता के बारे में भी स्पट करें ।

कुछ समय पहले मंत्री जी ने एक उत्तर दिया था, जिसमें कहा गया था कि रेलवे के अंदर डीजल की खपत काफी बढ़ रही है। कुछ दिन पहले जब यहां पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बातचीत चल रही थी, उसमें एक सुझाव आया था कि रतनजोत को काफी बड़ी मात्रा में पैदा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य कुछ राज्यों में उसका उत्पादन शुरू हो चुका है। क्या रतनजोत के उत्पादन को, जिससे आप जमीन का विकास करना चाहते हैं, आय का स्रोत बनाना चाहते हैं, क्या रेलवे के सामांतर रूप से इसे लगाकर, हमारी डीजल की जो कमी है, उसके सामांतर दूसरे उत्पादन द्वारा पूरा करने का आप निश्चय ही नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप वाणिज्यिक उपयोग करें। इस प्रकार का उपयोग करने से आपकी जो आवश्यकता है, उसकी आप पूर्ति कर सकेंगे और एक सामांतर ईंधन व्यवस्था कायम कर सकेंगे ताकि आपको आगे चलकर कठिनाई पैदा न हो। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी बातों पर विचार करके उन्हें अपने उत्तर में बताने की कृपा करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रेलवे के बारे में मंत्रालय की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारे ऊपर सोशल आब्लीगेशन है, यानी हमारा सामाजिक दायित्व है। इस सामाजिक दायित्व को निभाने की दृटि से भले ही हमको गुड्स में लाभ हो, लेकिन यात्रियों को ढोने में कभी-कभी हम घाटा भी भुगतते हैं, लेकिन हम उधर से लाभ ले रहे हैं। सामाजिक दायित्व निभाने की दृटि से क्या उन गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग या जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी तरफ भी देखते हैं? एक तरफ हम रोजगार गारंटी विधेयक लाकर, उसको विधान बनाकर रोजगार की गारंटी देने की बात करते हैं चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, हम उन नौजवानों को, जो असहाय हैं, रोजगार हीन हैं, उनको रोजगार देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उन लोगों को बेसहारा करने की बात कर रहे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, क्या इसमें आपका सामाजिक दायित्व नहीं आता है ? इस सामाजिक दायित्व को निभाने की दृटि से आपने इस बारे में क्या विचार किया है ? उनके िवस्थापन को लेकर, आप किस प्रकार से उनको स्थापित करने का कार्य करेंगे या उनके बारे मे कौन सा विचार रखते हैं आदि, कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निराकरण हम आपसे करवाना चाहते हैं।

जैसा मैंने प्रारंभ मे कहा कि लाभ और लाभांश के बारे में, आपने रेलवे डिवीडेंड की बात की है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उसकी सिफारिशों में जो बातें कही गयी हैं, उसके अनुरुप क्या आप कार्रवाई करेंगे, जिससे कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों का हित

हो ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को आप एक बार फिर देखिये और इसे जल्दबाजी में पास मत कीजिए। अगर आपको बिल लाना है तो एक कम्प्रीहैन्सिव बिल, समेकित बिल लाइये ताकि इन सब बातों पर सही तरीके से विचार हो सके। हम जल्दी में इस बिल को लाकर और प्राधिकरण की स्थापना करने से कार्य नहीं कर पायेंगे। हमने बहुत सारे प्राधिकरण स्थापित किये हैं। आप प्र ाधिकरण स्थापित करने की परम्परा छोड़िये और निश्चित रूप से एक ऐसा समेकित बिल लाइये जिसके अन्तर्गत इन सभी बातों का समावेश हो सके और हमारी जो शंकाएं हैं, उनका निराकरण हो सके। चूंकि ये सामान्य बातें नहीं हैं, आप इस प्राधिकरण को असीमित शक्तियां देने जा रहे हैं, उनके कार्यकलाप के बारे में, उनके नाम निर्देशन के बारे में, नियम बनाने की प्रक्रिया निहित करने और ट्रांसपेरेंट बनाने के बारे में कि वह कितना पारदर्शी होगा[r87], यह स्पट होना चाहिए ।

18.00 hrs.

उसके कार्यकलाप के बारे में आपने कोई निर्णय नहीं दिया है। कृपया इन सब व्यवस्थाओं के बारे में आप स्पट करने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सही लाभ हो सकेगा और जिस मूल उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी अन्यथा मूल उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में यह बिल आधा-अधूरा है या अपूर्ण है ।

MADAM CHAIRMAN : Now it is six o'clock. If the House agrees, we can extend the sitting of the House to continue this discussion.

श्री संतोा गंगवार : सभापति महोदया, कल चर्चा कराइए। अब ज़ीरो ऑवर ले लीजिए।

MADAM CHAIRMAN: All right. But we extend the sitting of the House to take up Special Mentions.